निर्धारित सीमा से अधिक बिक्री करने वाले डाक-टिकट विक्रेताओं/विभागेत्तर डाक टिकट विक्रेताओं को 2 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन राशी प्रदान की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यह प्रोत्साहन राशि ऐसे कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते सहित मूल वेतन के 33.3 प्रतिशत तक दी जाती है जबकि जो पोस्टमैन स्पीडपोस्ट की डाक को बांटते हैं, उन्हें प्रति नग 50 पैसे की दर से अप्रतिबंधित प्रोत्साहन राशि दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार विभागीय और विभागेत्तर डाक टिकट विक्रेताओं को बिना कोई सीमा निर्धारित किए 2 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन राशि देने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री सुखराम

(क) जी हां, तथापि, डाक टिकटों/डाक लेखन सामग्री की 30 रुपए से अधिक की एकमुश्त बिक्री के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाता ।

(ख) डाक-टिकट विक्रेताओं के लिए प्रोत्साहन राशि परिलब्धियों का 33⅓ प्रतिशत तक सीमित होती है। स्पीड पोस्ट मदों के वितरण के मामले में वितरण स्टाफ को 50 पैसे प्रति मद की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है । इस योजना में शर्त यह है कि सभी मदों का वितरण ठीक प्रकार से होना चाहिए । जहां वितरण कार्यनिष्पादन 100 प्रतिशत से कम हो जाता है किन्तु, 98 प्रतिशत से कम नहीं होता, वहां प्रति मद केवल 25 पैसे प्रोत्साहन राशि देने की अनुमति है ।

(ग) जी नहीं । ये दो भिन्न-भिन्न योजनाएं हैं और प्रत्येक की अपनी-अपनी शर्तें हैं ।

Village Panchayats Connected to District Headquarters through Telephones in M.P.

864. SHRI SHIVPRASAD CHANPURIA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) what are the names of village panchayats in Madhya Pradesh which have been directly connected with district Headquarters through telephone services;

(b) whether he is convinced that the telephone calls can be made from these village panchayats to the district headquarters whenever required ;

(c) if not, what are the reasons therefor;

(d) whether it is also a fact that neither the telephone calls from villages or for villages are responded nor the required telephone numbers are connected by the Telephone Exchange in the district headquarters; and

(e) what action has been taken or are proposed to be taken by Government against the employees responsible for it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM) : (a) The details are being collected and will be placed on the Table of the House.

(b) Yes, Sir.

(c) Question does not arise in view of (b) above.

(d) No, Sir.

(e) Question does not arise.

Fire in Telephone Exchange Area

865. SHRIMATI SATYA BAHIN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) what are the details of the damage caused by fire last year in the telephone exchange in Agra, Uttar Pradesh;

(b) whether any enquiry has been conducted into the matter;

(c) if so, what is the outcome thereof and if not, the reasons therefor;

(d) whether it is a fact that the communication system has been disturbed due to the fire; and